तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **अजीत कुमार गोलेच्छा** **बनाम लोक सूचना अधिकारी, (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर)** सू.अ.अपील संख्या—ऑनलाईन अपील संख्या 353089003733934	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

20/08/25

अजीत कुमार गोलेच्छा निवासी समर्थ नगर, जालम निवास, पावटा बी रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 29.07.2025 को जोधपुर शहर में ऐसी कितनी शिक्षण संस्थान है जो नियमों के विपरीत संचालित हो रही है व जिनके भवन मानचित्र अनुमोदित नही है उसकी सूची एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील में रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 826 दिनांक 11.08.2025 से बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर जिला शिक्षा अधिकारी. (माध्यमिक/प्रारंभिक) शिक्षा मुख्यालय, जोधपुर से संबंधित होने के फलस्वरूप अपीलार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अंतरित किया, जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के स्पष्टीकरण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर, जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.20 15:15:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No : 17277811